बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। आदेश ।।

सं०सं०–16/आरोप–05–14/2025 (पार्ट–I) 1653 पटना, दिनांक– 19/5/26

श्री संतोष कुमार रजक, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोकामा के विरूद्ध नगर परिषद, बोधगया के पदस्थापन अवधि में राज्यस्तरीय आश्रय स्थल अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये गये निदेश एवं आश्रय स्थल के निर्माण हेतु निर्धारित समय–सीमा में कार्य को पूर्ण नहीं करने संबंधी प्रतिवेदित आरोप के लिए उनके विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया।

2. श्री रजक के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के लिए क्रमशः विभागीय पत्रांक–9436 दिनांक–06.12.2024 एवं 3882 दिनांक–21.11.2025 द्वारा लिखित अभिकथन का मांग किया गया, जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1381 दिनांक–24.11.2025 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

3. श्री रजक के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकनोपरांत निम्नलिखित तथ्य पाये गयेः–

(i) श्री रजक का कार्यकाल नगर परिषद, बोधगया में दिनांक–26.09.2022 से 03.07. 2023 तक रहा है।

(ii) श्री रजक के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में उल्लेखित विभागीय पत्रों (पत्रांक–14896 दिनांक–22.12.2021 एवं 18293 दिनांक–24.02.2022), जिससे नगर परिषद, बोधगया से आश्रय स्थल के पूर्ण कर संचालित किये जाने की तिथि निर्धारित करने की मांग की गयी थी, वह श्री रजक से पूर्ववर्ती पदाधिकारी से संबंधित है।

(iii) श्री रजक के पदस्थापन से पूर्व से ही संबंधित संवेदक (दिनांक–23.08.2022 से) न्यायिक हिरासत में थे।

(iv) श्री रजक द्वारा अल्प पदस्थापन अवधि के बावजूद कार्य को पूर्ण करने की दिशा में संवेदक के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने की स्थिति में एकरारनामा को विखंडित करते हुए पुनः प्राक्कलन तैयार कर शेष कार्यों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2023–24 प्रकाशित करायी गयी एवं रैन बसेरा निर्माण कार्य योजना को पूर्ण करने का प्रयास किया गया।

4. उक्त मामले में श्री रजक के विरूद्ध वैधानिक तौर पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं बनने की स्थिति में उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए श्री संतोष कुमार रजक, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोकामा को **आरोप मुक्त** किया जाता है।

ह०/–

(परमानन्द पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं०सं०–16/आरोप–05–14/2025 (पार्ट–I) 1653 पटना, दिनांक– 19-5-26

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री संतोष कुमार रजक, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोकामा/उप सचिव (स्थापना), नगर विकास एवं आवास विभाग/आई0टी0 मैनेजर **(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)**, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Pandey 19.5.26
सरकार के अवर सचिव।